

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे.एम.,कोर्ट सं०-04, मुजफ्फरनगर

मौ. रईस

बनाम

जिशान आदि

वाद सं०-14658/2022

थाना-कोतवाली, जिला-मुजफ्फरनगर

19.09.2025

- 1- पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है।
- 2- सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।
- 3- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी लगातार अनुपस्थित चला आ रहा है एवं उसके द्वारा अपने वाद में पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को वाद चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः वाद लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परिवाद अदम पैरवी में खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 204(4) दं० प्र ० सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(तुषार जायसवाल)

अपर सिविल जज (जू० डि०)/जे.एम.

कोर्ट संख्या-4, मुजफ्फरनगर